No. Home(A)A(3)-2/2024
Government of Himachal Pradesh
Department of Home

From

Chief Minister,
Himachal Pradesh, Shimla-2.

To

The Secretary,
Himachal Pradesh, Vidhan Sabha,
Shimla-171004

Dated : Shimla-2, the 16th Dec, 2024

Subject: - Introduction of "The Himachal Pradesh Police Act, 2007 Amendment Bill, 2024".

Sir,

I have the honour to give the notice of my intention to introduce "The Himachal Pradesh Police, Act 2007 Amendment Bill, 2024" in the current session of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

I am, therefore, to request you to obtain the permission from Hon'ble Speaker to include the aforesaid Bill in the list of Business for introduction, consideration and passing the same in the current session. Three authenticated copies of the aforesaid Bill are enclosed herewith for appropriate action.

Yours faithfully,

(Sukhvinder Singh Sukhu)
Chief Minister, H.P.
Chief Minister
Himachal Pradesh

2024 का विधेयक संख्यांक 40

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 25 का संशोधन।
4. धारा 65 का संशोधन।
5. धारा 95 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

धारा 4 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उप–धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(3) ग्रेड–II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की राज्य संवर्ग (काडर) में भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएगी।"।

धारा 25 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (1) में " जिला संवर्ग के सदस्य के लिए जिला नामावली से और राज्य संवर्ग (काडर) के सदस्य के लिए राज्य नामावली (रोल) से" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

धारा 65 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (3) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(4) कोई भी पुलिस अधिकारी सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, लोक सेवक को उसके द्वारा लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय किए गए कार्य के लिए गिरफ्तार नहीं करेगा।"।

धारा 95 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 95 की उप–धारा (1) के अन्त "।"चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि उपरोक्त वर्णित पंक्ति के सेवानिवृत्त पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो राज्य सरकार, स्थिति और उपलब्धता के आधार पर कारणों को अभिलिखित करके, किसी भी कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी को उपरोक्त चर्चित रिति में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।"।

सुखविन्द्र सिंह

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमानतः हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) के उपबंधों के अनुसार अराजपत्रित पुलिस अधिकारी ग्रेड–II की भर्ती जिला संवर्ग और राज्य संवर्ग में की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने सीआर.डब्ल्यू.पी. संख्या 12/2024 नामतः रवीना बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य में तारीख 23–10–2024 के अपने निर्णय में मताभिव्यक्ति की है कि पुलिस विभाग को उसके अधिकारियों/कर्मचारियों के रैंक और प्रोफाइल का विचार किये बिना राज्य संवर्ग बनाने का यह उचित समय है। इससे पुलिस विभाग पूरे राज्य में आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार अपने अधिकारियों को तैनात करने में समर्थ हो सकेगा। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का गठन करने के लिए पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, जिला न्यायवादी और उससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त अभियोजकों या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और उससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों में से तीन गैर–सरकारी सदस्यों को नामित किया जाना अपेक्षित है। तथापि ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण जिला पुलिस शिकायत प्राधिकारणों का गठन नहीं किया जा सका। इसलिए, राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में कनिष्ठ अधिकारियों को भी नामित करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है। उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी.आई.एल. संख्या 21/2019 में तारीख 11–9–2024 नामतः कोर्ट आन इटस ओन मोशॅन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एण्ड अदरज के अपने आदेश में भी इस आशय के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया है। लोक सेवकों को निडर होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसलिए अधिनियम की धारा 65 में संशोधन करना समीचीन है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविन्दर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला:

तारीख ....., 2024.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

मुख्यमन्त्री
हिमाचल प्रदेश

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

धर्मशाला:

तारीख..... 2024

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) के उपबन्धों के उद्धरण।

धाराएं

4. **राज्य पुलिस सेवा का गठन और संरचना.**—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन राज्य की पुलिस सेवा, सिविल पुलिस और सशस्त्र पुलिस के रूप में वर्गीकृत की जाएगी और प्रत्येक में निम्नलिखित की समुचित संख्या होगी :–

(i) आरक्षियों (कांस्टेबलज) और मुख्य आरक्षियों से समाविष्ट ग्रेड–II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी;

(ii) सहायक उप–निरीक्षकों, उप–निरीक्षकों तथा निरीक्षकों से समाविष्ट ग्रेड–I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारी; और

(iii) राजपत्रित राज्य पुलिस सेवा अधिकारी; और

(iv) राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ।

(2) राज्य सरकार सिविल और सशस्त्र पुलिस में विभिन्न रैंकों (पंक्तियों) की संख्या ऐसी रीति में अवधारित करेगी जो विहित की जाए।

(3) ग्रेड–II के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की जिला और राज्य संवर्गों (काडर) में भर्तियां पुलिस भर्ती बोर्डों के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी:

परन्तु पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के साधारण आदेशों के अधीन ग्रेड–II के पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण राज्य संवर्ग (काडर) से जिला संवर्ग (काडर) और विपर्ययेन कर सकेगा।

(4) ग्रेड–II अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के रैंकों (पंक्तियों) के भीतर प्रोन्नतियां, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी।

(5) ग्रेड–I के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के रैंकों (पंक्तियों) के लिए भर्ती और प्रोन्नतियां, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के पचास प्रतिशत तक, कम से कम सात वर्ष की सेवा वाले और सीधी भर्ती हेतु विहित शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे।

(6) राजपत्रित राज्य पुलिस सेवा के लिए नियुक्तियां, राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की जाएंगी।

(7) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राज्य में पद धारण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

(8) भारतीय पुलिस सेवा से भिन्न राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी समय–समय पर विहित की जाएं।

25. नियुक्ति का प्रमाण पत्र.—(1) प्रत्येक अराजपत्रित सिविल पुलिस अधिकारी को प्रथम नियुक्ति पर इस अधिनियम की अनुसूची–2 में दिए गए प्ररूप में नियुक्ति का प्रमाण पत्र, ऐकरॅनिम हि० प्र० पु० वाला पद चिन्ह जारी किया जाएगा और जिला संवर्ग के सदस्य के लिए जिला नामावली से और राज्य संवर्ग (काडर) के सदस्य के लिए राज्य नामावली (रोल) से सुभिन्न नामांकन (इनरोलमेट) संख्या जारी की जाएगी।

(2) भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य से भिन्न प्रत्येक राजपत्रित सिविल पुलिस अधिकारी को सेवा में प्रथम नियुक्ति पर ऐकरॅनिम "हि० प्र० पु० से०" वाला पद चिन्ह जारी किया जाएगा।

(3) पुलिस अधिकारी के राज्य पुलिस सेवा के सदस्य न रहने की दशा में, नियुक्ति का प्रमाण–पत्र और पद चिन्ह वापिस ले लिया गया समझा जाएगा और नियुक्ति प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित किया जाएगा और सेवा से उसके निलम्बन की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के पास जमा करवाया जाएगा।

65. गिरफ्तारी और निरूद्ध करना.—(1) कोई पुलिस अधिकारी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरूद्ध करने के लिए—

(i) नाम, रैंक और संगठन के नाम जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, सहित सही, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान पहनेगा या प्रदर्शित करेगा;

(ii) गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी की तारीख, समय और स्थान का नाम देते हुए एक गिरफ्तारी ज्ञापन (मेमो) तैयार करेगा और तत्काल अपने अव्यवहित वरिष्ठ को लिखित संसूचना भेजेगा;

(iii) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जैसे ही वह गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाता है, उसकी पसन्द के किसी वादमित्र को उसकी गिरफ्तारी या निरूद्ध किए जाने की सूचना देने के अधिकार की जानकारी देगा और तत्काल, परन्तु चौबीस घण्टे के अपश्चात्, ऐसे व्यक्ति को यथाशक्य शीघ्र सूचित करेगा।

(iv) व्यक्ति की गिरफ्तारी की बाबत, निरूद्ध किए जाने के स्थान पर डायरी में, गिरफ्तार व्यक्ति के वादमित्र, जिसे उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है, का नाम निर्दिष्ट करते हुए और पुलिस अधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है, के नामों और विशिष्टियों की प्रविष्टि करेगा;

(v) प्रयोजन के लिए अभिहित चिकित्सक द्वारा तुरन्त चिकित्सा परीक्षण के लिए और अभिरक्षा में उसके निरूद्ध होने के दौरान प्रत्येक अड़तालीस घण्टे में और चिकित्सा परीक्षण के लिए व्यवस्था करेगा;

(vi) गिरफ्तारी के ज्ञापन (मेमो) सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विधि के उपबन्धों के अनुसार, भेजेगा।

(vii) गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, मिलने की अनुज्ञा देगा; और

(viii) गिरफ्तार व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियों को निरूद्ध किए जाने के स्थान पर सूचना पट्ट पर और ऐसे अन्य स्थानों पर, जैसे विहित किए जाएं, प्रदर्शित करेगा।

(2) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरूद्ध करने या गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के लिए केवल उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा जितना यह सुनिश्चित करने के लिए युक्ति–युक्त रूप से अपेक्षित है कि उसमें बच निकलने की सम्भावना न रहे और गिरफ्तार या विधि पूर्ण पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति के लिए हथकड़ी का सहारा तभी लिया जाएगा जब युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसा व्यक्ति हिंसात्मक हो सकता है, आत्महत्या का प्रयत्न कर सकता है, या बच निकल सकता है या गिरफ्तारी या निरोध (रोके जाने) से बलपूर्वक छुड़ाया जा सकता है।

(3) महानिदेशक पुलिस इस धारा के अधीन मामलों की बाबत विस्तृत प्रक्रिया स्थाई आदेश द्वारा विहित करेगा।

95. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की संरचना.—(1) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का प्रमुख (हैड) मण्डल का मण्डलायुक्त होगा और इसमें तीन अन्य गैर–सरकारी सदस्य (जो पुलिस अधीक्षक और इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिला न्यायवादी या इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत अभियोजक, या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या इससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, हो सकेंगे) होंगे। गैर–सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा लोक आयुक्त के परामर्श से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वे पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

(2) कोई भी व्यक्ति गैर–सरकारी सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने या बने रहने का पात्र नहीं होगा यदि—

(i) वह भारत का नागरिक नहीं है; या

(ii) किसी न्यायालय में आपराधिक मामले में उसके विरुद्ध आरोप–पत्र दायर हो चुका है; या

(iii) उसे पदच्युत कर दिया गया है या सेवा से हटा दिया गया है या भ्रष्टाचार या अवचार के आधारों पर लोक नियोजन से अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किया जा चुका है; या

(iv) वह विकृत चित्त है; या

(v) वह लोक पद धारण करता है या किसी राजनैतिक दल या राजनैतिक संगठन का पद धारी है ।

(3) गैर–सरकारी सदस्यों को ऐसी दरों पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, बैठक के लिए फीस और यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(4) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण की बैठक, जैसी प्रायः अपेक्षित हो, होगी परन्तु मास में कम से कम एक बार होगी और इसकी कार्यवाहियां सार्वजनिक होंगी तथा बैठक का अभिलेख रखा जाएगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 40 OF 2024

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 25 .
4. Amendment of section 65.
5. Amendment of section 95 .

Bill No. 40 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2024

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Police Act, 2007(Act No. 17 of 2007).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Police (Amendment) Act, 2024. Short title.

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the sub-section (3), the following shall be substituted, namely:- Amendment of section 4.

"(3) Recruitment of the Non-Gazetted Police Officers Grade-II to the State Cadre shall be made through Police Recruitment Board, in accordance with the Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government.".

3. In section 25 of the principal Act, in the sub-section (1), the words "from a District Roll for a member of the District Cadre and from a State Roll for a member of the State Cadre" shall be omitted. Amendment of section 25.

4. In section 65 of the principal Act, after the sub-section (3), the following shall be inserted, namely:- Amendment of section 65.

"(4) No Police Officer shall arrest a public servant for any act done while discharging his duties as public servant except with the prior sanction of the Government.".

Amendment of section 95.

5. In section 95 of the principal Act, at the end of sub-section (1), for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter a proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case the retired eligible officers of the ranks mentioned above are not available then the State Government may nominate junior retired officer in the manner discussed above depending upon the situation and availability for the reasons to be recorded.".

Chief Minister
Himachal Pradesh

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Presently, as per the provisions of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), recruitment of the Non-Gazetted Police Officers Grade-II is being made to the District Cadre and State Cadre. The Hon'ble High Court in its judgement dated 23.10.2024 in Cr.WP No.12 of 2024 titled as Ravina versus State of Himachal Pradesh and others, has observed that it is high time for making the Police Department a State Cadre, irrespective of its officer's rank and profile. This would enable the Police Department to post its officers as per the necessity and requirement all over the State. Further to constitute the District Police Complaint Authorities, three non-official members amongst the retired Police Officers of the rank of Superintendent of Police or above, retired prosecutors of the rank of District Attorney and above, or retired Judicial Officers of the rank of the Additional District Judge and above, are required to be nominated. However, due to non-availabillity of such retired officers, the District Police Complaint Authorities could not be constituted. Therefore, there is a proposal to enable the State Government to nominate the junior officers in case of non-availabitily of senior officers for the purpose. The High Court in its order dated 11.9.2024 in CWPIL No. 21 of 2019 titled as Court on its own motion versus Union of India & Ors, has also directed to consider the proposal to this effect. In order to enable the public servants to discharge their duties fearlessly, it is propsed to grant them protection from arrest. Hence, it is expedient to amend section 65 of the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.
Chief Minister
Himachal Pradesh

DHARAMSHALA:

THE....., 2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Police Act, 2007(Act No. 17 of 2007).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

Chief Minister
Himachal Pradesh

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

DHARAMSHALA:

The ....., 2024.

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH POLICE ACT, 2007 (ACT NO. 17 OF 2007) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL.

Sections:

4. Constitution and Composition of the State Police Service.—(1) Subject to the provisions of this Act, the Police Service of the State shall be categorized as the Civil Police and the Armed Police, each consisting of appropriate numbers of—

(i) Non-Gazetted Police Officers Grade-II, comprising of Constables and Head Constables;
(ii) Non-Gazetted Police Officers Grade-I, comprising of Assistant Sub-Inspectors, Sub-Inspectors and Inspectors; and
(iii) Gazetted State Police Service Officers; and
(iv) Indian Police Service Officers serving in connection with the affairs of the State.

(2) The State Government shall determine the strength of various ranks in the Civil and Armed Police in a manner as may be prescribed.

(3) Recruitment of the Non-Gazetted Police Officers Grade-II to District and State Cadres shall be made through Police Recruitment Board, in accordance with Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government:

Provided that the Director-General of Police may transfer Police Officers Grade-II from the State Cadre to a District Cadre and vice-versa under general orders of the State Government.

(4) Promotions within the ranks of Non-Gazetted Police Officers Grade–II shall be made in accordance with Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government for the purpose.

(5) Recruitment and promotions to the ranks of Non-Gazetted Police Officers Grade-I shall be made in accordance with Recruitment and Promotion Rules framed by the State Government:

Provided that up to 50% of the posts being directly recruited may be reserved for Non-Gazetted Police Officers with not less 7 years service and fulfilling the educational qualifications prescribed for direct recruits.

(6) Appointment to the Gazetted State Police Service shall be made on the recommendations of the State Public Service Commission in accordance with Recruitment and Promotions Rules framed by the State Government.

(7) Officers of the Indian Police Service shall be appointed to hold posts in the State in accordance with rules framed by the Central Government.

(8) The pay, allowances, pensions and other conditions of service of the officers of State Police Service other than the Indian Police Service shall be such as may be prescribed from time to time.

25. Certificate of appointment.—(1) Each Non-Gazetted Civil Police Officer on first appointment, shall be issued a certificate of appointment in the form given in Schedule-II to this Act, an insignia bearing the acronym 'H.P.P.' and a distinctive enrolment number from a District Roll for a member of the District Cadre and from a State Roll for a member of the State Cadre.

(2) Each Gazetted Police Officer other than a Member of the Indian Police Service on first appointment to the service shall be issued an insignia bearing the acronym 'H.P.S.'

(3) The Certificate of appointment and insignia shall be deemed as withdrawn and shall be surrendered forthwith to the appointing authority, in case the Police Officer ceases to be a member of the State Police Service, and shall be deposited with the appointing authority in case he has been suspended from the Service.

65. Arrest and detention.— (1) A Police Officer effecting an arrest or detaining a person in accordance with the law shall—

(i) Wear or display accurate, visible and clear identification, including name, rank and the name of the organization he represents;

(ii) prepare a memo of arrest at the time of arrest, giving the date, time and place of the arrest and forthwith send a written communication to his immediate superior;

(iii) inform the person arrested of his right to have some one of his choice, as a next friend notified of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or is detained, and forthwith cause such a person to be notified as soon as possible, but not later than 24 hours;

(iv) make an entry in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person specifying the name of the next friend of the person arrested who has been informed of the arrest and the names and particulars of the Police Officer in whose custody the person arrested is;

(v) arrange for immediate medical examination by a doctor designated for the purpose and for further medical examination every 48 hours during his detention in custody;

(vi) send copies of all the documents, including the memo of arrest, to the Magistrate having jurisdiction in accordance with the provisions of the law.

(vii) permit the person arrested to meet his lawyer in such manner as may be prescribed; and

(viii) cause the name and other particulars of the person arrested to be displayed in the notice board at the place of detention and at such other places as may be prescribed.

(2) In making an arrest or detaining a person or keeping an arrested person in custody, only that amount of force shall be used as may be reasonably required to ensure that there is no possibility of escape, and handcuffing of a person arrested or in lawful police custody shall be resorted to only when there is a reasonable apprehension that such a person may turn violent, attempt suicide, escape, or be forcibly released from arrest or detention.

(3) The Director-General of Police shall by Standing Orders, prescribe detailed procedure in respect of matters under this section.

95. Composition of the District Police Complaint Authority.—(1) The District Police Complaints Authority shall be headed by the Divisional Commissioner of the Division and shall include 3 other Non Official Members (who may be retired senior Police Officers of the rank of Superintendent of Police and above, retired prosecutors of the rank of District Attorney and above, or retired Judicial officers of the rank of Additional District Judge and above). The Non-Official Members shall be nominated by the State Government in consultation with the Lokayukta for a period of three years and shall be eligible for re-nomination.

(2) No person shall be eligible to be nominated or to continue as a Non-Official Member if he—

(i) is not a citizen of India; or

(ii) has a charge-sheet filed against in a Court of Law in a criminal case; or

(iii) has been dismissed or removed from service or been compulsory retired from public employment on grounds of corruption or misconduct; or

(iv) is of unsound mind; or

(v) holds public office or is an office bearer of any political party or political organization.

(3) Non-Official Members shall be paid a sitting fee and traveling allowance and daily allowance at such rates as may be notified by the State Government.

(4) The District Police Complaints Authority shall meet as often as required, but at least once a month and the proceedings shall be open to the public and a record of the proceedings shall be kept.

राजकीय मुद्रणालय, हि० प्र०, शिमला—1720—जुड / 2024—14—12—2024—175 प्रतियां।